

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 18, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. 27425-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) विधेयक, २०१५

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०१५ है.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ५८,८९,७१,१३,००० का दिया जाना.

विनियोग.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रु. पाँच हजार आठ सौ नवासी करोड़ इकहजार लाख तेरह हजार केवल होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी।

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१)	(२)	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा	संचित निधि	योग
अनुदान का संख्यांक	सेवायें और प्रयोजन	द्वारा मतदत्	पर भारित	रुपये
		रुपये	रुपये	रुपये
०१. भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	३,४५,११,००,०००	३,४५,११,००,०००
०२. सामान्य प्रशासन	राजस्व	२२,८३,६०,०००	९,००,०००	२२,९२,६०,०००
०३. पुलिस	राजस्व	७००	०	७००
	पूँजी	९०,००,०००	०	९०,००,०००
०५. जेल	राजस्व	१३,००,००,०००	०	१३,००,००,०००

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
०६. वित्त		
	राजस्व ३,१४,५६,०००	० ३,१४,५६,०००
१०. वन		
	राजस्व ६४,७५,००,०००	० ६४,७५,००,०००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
	राजस्व ३४,८९,१५,०००	० ३४,८९,१५,०००
१४. पशुपालन		
	राजस्व ११,६८,३३,०००	० ११,६८,३३,०००
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	राजस्व २५,०८,८२,०००	० २५,०८,८२,०००
१६. मछली पालन		
	राजस्व ६,६३,३२,०००	० ६,६३,३२,०००
१७. सहकारिता		
	राजस्व ५८,४५,८४,०००	० ५८,४५,८४,०००
१८. श्रम		
	राजस्व १,७०,००,०००	० १,७०,००,०००
२२. नगरीय विकास एवं पर्यावरण		
	राजस्व २,१४,०७,०६,६००	० २,१४,०७,०६,६००
२३. जल संसाधन		
	राजस्व ४,२०,००,०००	० ४,२०,००,०००
	पूँजी ३,०५,००,००,२००	० ३,०५,००,००,२००
२४. लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल		
	राजस्व १,००,००,००,०००	० १,००,००,००,०००
	पूँजी २,६९,२२,०३,१००	० २,६९,२२,०३,१००

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
२५. खनिज साधन		
	राजस्व १५,६८,२००	० १५,६८,२००
२६. संस्कृति		
	राजस्व १०,३१,०१,२००	० १०,३१,०१,२००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)		
	राजस्व २,०७,१४,०००	० २,०७,१४,०००
	पूँजी ११,८७,०३,०००	० ११,८७,०३,०००
२८. राज्य विधान मंडल		
	राजस्व १,६७,००,१००	० १,६७,००,१००
२९. विधि और विधायी कार्य		
	राजस्व २,००,००,०००	८,५८,००,००० १०,५८,००,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी		
	राजस्व ७,१०,०००	० ७,१०,०००
३४. सामाजिक न्याय		
	राजस्व ५९,४४,७३,२००	० ५९,४४,७३,२००
३७. पर्यटन		
	पूँजी ७५,६०,००,०००	० ७५,६०,००,०००
३८. आयुष		
	राजस्व ३०,२६,८८,५००	० ३०,२६,८८,५००
	पूँजी ३,८७,८८,०००	० ३,८७,८८,०००
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण		
	राजस्व २,४२,८५,८४,५००	० २,४२,८५,८४,५००
	पूँजी ४,२०,००,०००	० ४,२०,००,०००
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
	राजस्व १,०३,७३,९४,६००	० १,०३,७३,९४,६००
	पूँजी १८,१६,८५,४००	० १८,१६,८५,४००

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी ३,४००	० ३,४००
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व १०० पूंजी ३५,००,००,१००	० १०० ० ३५,००,००,१००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व ५,००,००,००० पूंजी ७५,००,०३,१००	० ५,००,००,००० ० ७५,००,०३,१००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व १३,९५,००० पूंजी ४,५९,२३,०००	० १३,९५,००० ० ४,५९,२३,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व ७,४०,६४,०००	० ७,४०,६४,०००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व ४७,९०,२२,५००	० ४७,९०,२२,५००
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ३५,९९,३३,०००	० ३५,९९,३३,०००
५३. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व १००	० १००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व ७५,९७,५१,८००	० ७५,९७,५१,८००

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
५७. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूँजी ६,०४,३३,०००	० ६,०४,३३,०००
६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व ८०,७५,००० पूँजी २४,१७,०३,०००	० ८०,७५,००० ० २४,१७,०३,०००
६१. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूँजी २०,००,००,०००	० २०,००,००,०००
६४. अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व १,१७,५३,३३,७०० पूँजी ५,४४,६५,२००	० १,१७,५३,३३,७०० ० ५,४४,६५,२००
६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व २,६९,००,००,००० पूँजी ४,२६,९५,०००	० २,६९,००,००,००० ० ४,२६,९५,०००
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व २,५०,००,०००	९२,०६,१०० ३,४२,०६,१००
६८. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व १००	० १००
७१. सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व ५,००,००,००,००० पूँजी ३,००,००,००,०००	० ५,००,००,००,००० ० ३,००,००,००,०००
७३. चिकित्सा शिक्षा	राजस्व ४२,००,००,१००	१०० ४२,००,००,२००
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व १८,४३,९१,२६,०००	० १८,४३,९१,२६,०००

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
	राजस्व	३,९९,६२,९६,३००
योग :	{ राजस्व पूँजी	४३,६१,६५,०१,३०० ११,६३,३६,०५,५००
		३,६४,७०,०६,२००
		४७,२६,३५,०७,५००
		०
		११,६३,३६,०५,५००
वृहद योग :	५५,२५,०१,०६,८००	३,६४,७०,०६,२००
		५८,८९,७१,१३,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरस्तापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ०७ दिसम्बर, २०१५.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.